(44)

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– उमर दीन खान
आई.ए.एस.

अपील संख्या 31/2021
महेन्द्र सिंह, उम्र 45 वर्ष, पुत्र श्री रामेश्वर, जाति जाट, निवासी डुलानिया, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।
– – अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार सूरजगढ, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं ।

– – रेस्पोडेन्ट

––

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 06.07.2020 पासकर्दा अदालत मातहत न्यायालय तहसीलदार सूरजगढ, राज0 बनुकदमा उनवानी सरकार बनाम महेन्द्र सिंह, मु0न0 23/2020 अ0धा0 91 भू – राजस्व अधिनियम

––

1. श्री प्रमोद कुमार पूनियां, एडवोकेट–अपीलान्ट की ओर से अनुपस्थित।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक–रेस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक 24.08.2021

पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक अपील तहसीलदार सूरजगढ के निर्णय दिनांक 06.07.2020 के विरूद्व मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मि.अ. के पेश हुई है। अपील अपीलान्ट के अनुसार हल्का पटवारी डुलानिया के द्वारा तहसीलदार साहब सूरजगढ के समक्ष प्रस्तुत की गई रिपोर्ट दिनांक 16.06.2020 के मुताबिक अपीलार्थी महेन्द्र सिंह मौजा डुलानिया की भूमि ख0न0 299 का खातेदार है तथा शिकायतकर्ता व महेन्द्र सिंह पुत्र रामेश्वर, जाति जाट तथा अन्य 5–4 व्यक्तियो के द्वारा खसरा नम्बर 294 गै0मु0 जोहड़ में पक्का पुख्ता निर्माण कर कब्जा किया हुआ है जिसके आधार पर तहसीलदार सूरजगढ ने प्रकरण धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम के तहत दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्ट को नोटिस जारी किया तथा बाद प्राप्ति नोटिस गैरसायल/अपीलार्थी के द्वारा जबाब प्रस्तुत किए जाने के पश्चात दिनांक 06.07.2020 को अदालत मातहत तहसीलदार सूरजगढ के द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट को सही मानते हुए तथा गैर सायल को उक्त विवादित रकबे पर अतिचारी मानते हुए उपरोक्त प्रकरण का अन्तिम तौर पर निस्तारण करते हुए निर्णय व आदेश दिनांक 06.07.2020 पारित किया गया है जिसके अनुसार अपीलार्थी को दोषी मानते हुए बेदखली का आदेश पारित करते हुए आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का पच्चास गुना तावान राशि 5/–रूपये अपलार्थी पर अधिरोपित किए गए है। अपीलार्थी अपनी कृषि भूमि उक्त ख0न0 299 पर अपने सकानात व पशुओ का बाडा बनाकर रिहायशी कर रहा है। विवादित खसरा नं0 294 किस्म गैर मु0 जोहड़ अपीलार्थी की उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि खेत खसरा नं0 299 के पश्चिम दिशा से लगता हुआ स्थित है तथा उपरोक्त वर्णित दोनो खसरा न0 299 व खसरा नं0 294 के मध्य किसी भी प्रकार के पुख्ता चिन्ह मौजूद नही है तथा सीमा भी अस्पष्ट है तथा न तो राजस्व विभाग के द्वारा तथा ना ही अपीलार्थी के द्वारा उपरोक्त वर्णित दोनो खसरान की भूमि के मध्य कोई पुख्ता सीमा चिन्ह कायम किए गए है जिस कारण उपरोक्त वर्णित दोनो खसरान की भूमि के मध्य किसी प्रकार के स्पष्ट चिन्ह अथवा आलामात मौजूद नहीं है। अपीलार्थी ने अपना निर्माण आदि कार्य अपने कदीमी कब्जे व खातेदारी की भूमि पर किया है तथा अपीलार्थी ने किसी भी प्रकार का अतिक्रमण उपरोक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 294 गैर मुमकीन जोहड़ पर नहीं किया है जिस बिन्दू पर गौर ना करते हुए अदालत मातहत के द्वारा पारित किया गया आलौच्य आदेश दिनांक 06.07.2020 खिलाफ वाकयात व अज रूहे मिसिल होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। अदालत मातहत ने निर्णय दिनांक 06.07.2020 पारित करने से पूर्व अपीलार्थी के द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत किए गए जबाब पर मुकम्मल तौर पर गैर न करते हुए पारित किया गया है, वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थी के कब्जे में नहीं है तथा उपरोक्त वर्णित दोनों खसरान की भूमि की भौतिक पैमाईश किए बगैर इस तथ्य का निर्णय किया जाना सम्भव न होने के कारण तथा केवल हल्का पटवारी द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत की गई अस्पष्ट व वेग रिपोर्ट को सही आधार मानते हुए तथा इस महत्वपूर्ण बिन्दू पर सम्यक तौर पर गौर न

करते हुए उपरोक्त अलौच्य आदेश व निर्णय पारित किया है। हल्का पटवारी द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत की गई रिपोर्ट एक पक्षीय है तथा इसके अतिरिक्त हल्का पटवारी ने तथाकथित अतिक्रमित भूमि का रकबा, लम्बाई व चौड़ाई मजिद तौर पर अंकित नहीं की है तथा ना ही भूमि खसरा नम्बर 294 की नाप अथवा पैमाईश की कोई फर्द पत्रावली पर पेश की है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर योग्य अदालत मातहत द्वारा पारित किए आदेश दिनांक 06.07.2020 को अपास्त किया जावें।

अपीलान्ट को बहस हेतु अन्तिम अवसर प्रदान करने के बावजूद अपीलान्ट न तो स्वयं उपस्थित आया तथा न ही उनकी ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित आये। अपील का निस्तारण गुणावगुण के आधार करने हेतु एक पक्षीय बहस सुनी गई।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस के दौराने तर्क प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकीन जोहड़ है जो सरकारी भूमि है। अपीलान्ट को उक्त ग्राम डुलानिया स्थित सरकारी भूमि खसरा नम्बर 294 रकबा कुल 1.90 हैक्टर में से 0.04 हैक्टर पर खाई – बाड लगाकर अतिक्रमण करने का कोई हक नहीं है। अदालत मातहत द्वारा विधिसम्मत् निर्णय पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं रही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा राजकीय अभिभाषक की बहस पर बगौर मनन किया। प्रकरण में अदालत मातहत ने अपीलान्ट को ग्राम डुलानिया स्थित भूमि खसरा नम्बर 294 रकबा 1.90 हैक्टर में से 0.04 हैक्टर भूमि पर अतिकमी माना है। प्रकरण में अहम बिन्दु इस प्रकार से है यथा :–

1. अदालत मातहत द्वारा आदेश दिनांक 06.07.2020 को पारित किया गया था, जिसके विरूद्ध अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील दिनांक 12.03.2021 को प्रस्तुत की है। इस संबंध में अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र दफा 5 मि.अ. में अंकित किया है कि अदालत मातहत द्वारा आदेश पारित किये जाने के दौरान अपीलान्ट स्वयं बीमार होने कारण अपील में देरी हुई है। अपीलान्ट द्वारा ईलाज की जो पर्ची प्रस्तुत की गई है वह दिनांक 21.12.2020 की प्रस्तुत की गई है। जबकि अदालत मातहत द्वारा आदेश लगभग 6 माह पहले पारित किया जा चुका था। अतः अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में की गई 9 माह की देरी स्वीकार्य नहीं है।
2. प्रकरण में अपीलान्ट को अदालत मातहत द्वार पूर्ण सूनवाई का अवसर प्रदान कर आदेश पारित किया है। न्यायालय हाजा में भी अपीलान्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 07.07.2021, 14.04.2021, 04.08.2021 तथा दिनांक 11.08.2021 को अंतिम अवसर दिये जाने के बावजूद अपीलान्ट द्वारा बहस नहीं की है। अतः मैरिट पर निर्णय किया जाना उचित समझा गया।
3. अपीलान्ट द्वारा अपील में अंकित तथ्यों अनुसार भूमि खसरा नम्बर 299 अपीलान्ट के खातेदारी की भूमि है। इस संबंध में अपीलान्ट ने जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस प्रस्तुत नहीं किये है, जिससे पता चलता कि अपीलान्ट की खातेदारी की जमीन है तथा खसरा नम्बर 294 के साथ लगती है व मौके पर सीमा विवाद की संभावना बनती है। अतः अपीलानट के तर्क से सहमत नहीं हो सकते कि जमीन का रकबे/सीमा का विवाद है।
4. विवादित भूमि की किस्म गै.मु. जोहड है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एस.एल.पी.सी सं. 3109/2011 जगपाल सिह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28.01.2011 एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की एस.बी.सिविल रिट पिटीशन सं. 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के निर्णय दिनांक 20.08.2004 के अनुसार प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है। प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि पर किसी निजी व्यक्ति द्वारा किये गये कब्जे को वैध नहीं माना जा सकता है। उक्त समस्त तथ्यों के मध्य नजर अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना उचित है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। रिकार्ड मातहत मय आदेश की प्रति के प्रेषित हो। अदालत मातहत अपने निर्णय अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 24.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर झुन्झुनूं
24/8/21

(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर,झुंझुनू